राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1404 / 2024

अमर सिंह बोचला —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, चूरू।
4. तारा चन्द मेहरा, नायब तहसीलदार (कार्यव्यवस्थार्थ), दूधवाखारा, जिला चुरू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 14.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय दत्त शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक—3) के द्वारा नायब तहसीलदार (कार्यव्यवस्थार्थ) पदोन्नत कर तहसील बिलाड़ा, जिल जोधपुर में पदस्थापित किया, के पश्चात् विभिन्न स्थानों पर पदस्थापन उपरान्त प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक—7) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन नायब तहसीलदार (कार्यव्यवस्थार्थ), सालासर, जिला चुरू में किया गया, जहां पर अपीलार्थी वर्तमान में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से नायब तहसीलदार कार्यव्यवस्थार्थ, दूधवाखरा, जिला चुरू में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार, दूधवाखारा, जिला चुरू से नायब तहसीलदार, सालासर, जिला चुरू में अपीलार्थी के स्थान पर बिना प्रशासनिक कारणों के समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरन्तर नायब तहसीलदार के पद पर सालासर, जिला चुरू में कार्य करने दिया जावे तथा वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर दिनांक 31.07.2023 से पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से नायब तहसीलदार, दूधवाखारा, जिला चुरू में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य